कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

पत्रांक2475/अधि0/दो–29/2022 दिनांक28जून, 2022

1– समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2– समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः–उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व निर्गत कार्यालयादेश संख्या–2353/अधि0/दो–29/2022 दिनांक 20–06–2022 के द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 हेतु वैबसाइट पर प्रदर्शित की गयी अधिकारी/कार्मिकों की पात्रता सूची के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए संशोधित पात्रता सूची विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित की गयी।

2– उक्त प्रदर्शित किये गये आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात कतिपय अधिकारी/कार्मिकों द्वारा पुनः आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी। उक्त आपत्तियों का निराकरण निम्नवत किया जाता हैः–

(1) श्री सन्दीप सैनी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हल्द्वानी द्वारा सम्भागीय परिवहन अधिकारी (सड़क सुरक्षा एवं प्रवर्तन), देहरादून के पद पर की गयी 01 वर्ष 01 माह 07 दिन की सेवा को दुर्गम सेवावधि में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून के अधिक्षेत्र में पूरा देहरादून सम्भाग सम्मिलित है, जिसमें टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, ऋषिकेश एवं विकासनगर उपसम्भाग सम्मिलित हैं। सम्भागीय परिवहन अधिकारी पद की सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के पद से कोई सादृश्यता नहीं है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के पद को सुगम में चिन्हित किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत श्री संन्दीप सैनी की उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(2) श्रीमती रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा श्री विपिन कुमार सिंह की टनकपुर कार्यालय में सेवावधि के दौरान उपभोग किये गये अवकाश अवधि (407 दिवस) को अपने दुर्गम सेवावधि में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है। कार्यालयादेश संख्या–844 दिनांक 21–04–2015 द्वारा परिवहन कर अधिकारी–1 को अपने पदीय कर्तव्यों के साथ–साथ प्रवर्तन का कार्य सम्पादन हेतु अधिकृत किया गया है। अतः उक्त तिथि के पश्चात प्रवर्तन के कार्यों को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का मौलिक कार्य नहीं माना गया है। उक्त तिथि के

पश्चात यदि परिवहन कर अधिकारी–1 की तैनाती न होने के दशा में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रवर्तन कार्य सम्पादित किया गया है, तो यह सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पद हेतु अतिरिक्त प्रभार होने के दृष्टिगत श्रीमती रश्मि भट्ट की उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(3) श्री विमल पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा दिनांक 07–12–2013 से 15–01–2015 तक की अवधि में टनकपुर कार्यालय में की गयी सेवा एवं रामनगर कार्यालय में परिवहन कर अधिकारी–1 की अनुपस्थिति में किये गये प्रवर्तन कार्यों को दुर्गम मे जोड़े जाने का अनुरोध किया गया है। श्री विमल पाण्डेय द्वारा अपने प्रत्यावेदन के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार दिनांक 06–12–2013 को श्रीमती पूजा नयाल को टनकपुर कार्यालय से काशीपुर हेतु कार्यमुक्त होने के दृष्टिगत टनकपुर कार्यालय में श्री पाण्डेय के अतिरिक्त दिनांक 07–12–2013 से 15–01–2015 तक की अवधि में अन्य कोई अधिकारी (परिवहन कर अधिकारी–1 एवं 2) तैनात न होने के दृष्टिगत उक्त अवधि को दुर्गम में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में संशोधन किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त रामनगर कार्यालय में तैनाती की सेवा को दुर्गम में प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि कार्यालयादेश संख्या–844 दिनांक 21–04–2015 द्वारा परिवहन कर अधिकारी–1 को अपने पदीय कर्तव्यों के साथ–साथ प्रवर्तन का कार्य सम्पादन हेतु अधिकृत किया गया है। अतः उक्त तिथि के पश्चात प्रवर्तन के कार्यों को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का मौलिक कार्य नहीं माना गया है। उक्त तिथि के पश्चात यदि परिवहन कर अधिकारी–1 की तैनाती न होने के दशा में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रवर्तन कार्य सम्पादित किया गया है, तो यह सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पद हेतु अतिरिक्त प्रभार होने के दृष्टिगत श्री विमल पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की रामनगर कार्यालय की सेवा को दुर्गम में प्रदर्शित किये जाने सम्बन्धी उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(4) श्री रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर द्वारा कोटद्वार कार्यालय में एकमात्र अधिकारी के रूप में अपने पदीय दायित्वों के साथ–साथ प्रवर्तन अधिकारी कोटद्वार का भी कार्य किये जाने के कारण दिनांक 07–12–2016 से 10–04–2018 तक की अवधि को दुर्गम सेवा में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है। कार्यालयादेश संख्या–844 दिनांक 21–04–2015 द्वारा परिवहन कर अधिकारी–1 को अपने पदीय कर्तव्यों के साथ–साथ प्रवर्तन का कार्य सम्पादन हेतु अधिकृत किया गया है। अतः उक्त तिथि के पश्चात प्रवर्तन के कार्यों को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का मौलिक कार्य नहीं माना गया है। उक्त तिथि के पश्चात यदि परिवहन कर अधिकारी–1 की तैनाती न होने के दशा में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रवर्तन कार्य सम्पादित किया गया है, तो यह सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी पद हेतु अतिरिक्त प्रभार होने के दृष्टिगत श्री रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(5) श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर द्वारा कोटद्वार कार्यालय में तैनाती के दौरान दिनांक 22–02–2014 से 07–12–2016 तक की सेवा एवं दिनांक 03–09–2009 से 26–10–2009 तक देहरादून कार्यालय में प्रभारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के पद पर की गयी सेवा को दुर्गम में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है। श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की कोटद्वार कार्यालय में तैनाती के दौरान दिनांक 22–02–2014 से 20–04–2015 तक की सेवा को डॉ0 अनीता चमोला, सहायक परिवहन आयुक्त की भॉति कोटद्वार कार्यालय की सेवा को दुर्गम में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में संशोधन किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त देहरादून कार्यालय में दिनांक 03–09–2009 से 26–10–2009 तक की सेवा को दुर्गम में प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि श्री सुरेन्द्र कुमार तत्समय परिवहन कर अधिकारी–1 के पद पर मूल रूप से तैनात थे। उनके पास उक्त अवधि में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को अतिरिक्त प्रभार होने के दृष्टिगत श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(6) श्री विनोद गुंज्याल, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक), अल्मोड़ा द्वारा श्री विकास सिंह, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक), टिहरी की दिनांक 22–09–2021 से 30–12–2021 तक रूड़की कार्यालय में की गयी सेवा को सुगम में प्रदर्शित किये जाने का अनुरोध किया गया है। श्री विकास सिंह, सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक), टिहरी की दिनांक 22–09–2021 से 30–12–2021 तक 03 माह 10 दिन तक रूड़की कार्यालय में की सेवा को सुगम सेवा में दर्शाये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में संशोधन किया जाता है।

(7) श्री योगेश चन्द्र जोशी, प्रवर्तन पर्यवेक्षक, उधमसिंहनगर द्वारा दिनांक 06–01–2021 से 29–11–2021 तक प्रवर्तन दल, रामनगर में की गयी सेवा को दुर्गम में प्रदर्शित किये जाने का अनुरोध किया गया है। श्री योगेश चंद्र जोशी की सेवावधि में रामनगर कार्यालय में तैनाती सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार उनकी दिनांक 06–01–2021 से 29–11–2021 तक की अवधि रामनगर में प्रदर्शित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में संशोधन किया जाता है।

(8) श्री तुलसी चौहान, प्रवर्तन चालक, देहरादून द्वारा दिनांक 08–07–2008 से 30–08–2010 तक प्रवर्तन दल, देहरादून (प्रवर्तन दल, चकराता सहित) में की गयी सेवा को दुर्गम में प्रदर्शित किये जाने का अनुरोध किया गया है। श्री तुलसी चौहान प्रवर्तन दल चकराता (विकासनगर) के गठन से पूर्व दिनांक 08–07–2008 से से 30–08–2010 तक प्रवर्तन दल, देहरादून की सेवा को दुर्गम में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में संशोधन किया जाता है।

अतः उक्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात सम्बन्धित अधिकारियो/कमिकों की तैनाती स्थलों पर कार्यवधि, पात्रता विवरण एवं रिक्तियों/सम्भावित रिक्तियों की संशोधित सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है।

<u>संलग्न यथोक्त</u>

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

<u>संख्या–   (1)/सम्दिनांकित्।</u>

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

1– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।

2– डी0बी0ए0, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचनायें विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।